कार्यालय, नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर–15)

क्रमांकः–एफ–20( )/अधी.अभि./उपा.(वि.)/ननिज/2019/ 4118 दिनांकः– 11.11.2019

11.11.19

जन सम्पर्क अधिकारी
नगर निगम जयपुर।

विषयः– दैनिक समाचार पत्रों में नगर निगम सम्बन्धित प्रकाशित न्यूज का तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंगः– जसअ/2019/09 दिनांक 08.11.2019

- नगर निगम के क्षेत्र में लगभग 2.90 लाख लाईट पोइन्ट हैं। प्रकाशित खबर के अनुसार 1800 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं को आधार माने तो भी 1 प्रतिशत से कम लाईटें बन्द हैं और आज दिनांक 08.11.19 को मात्र 1670 शिकायतें पेंडिंग हैं।
- लाईट बन्द होना एक सतत् प्रक्रिया हैं। प्राप्त शिकायतों को समय–समय पर निस्तारण/निराकरण करने हेतु कॉल सेन्टर स्थापित किया हुआ हैं, प्रत्येक जोन में तकनीकी स्टॉफ के रूप में विद्युत हैल्पर, लाईन मैन, विद्युत निरीक्षक एवं सहायक अभियंता नियुक्त किये हुए हैं और रोड़ लाईट सर्किटों को चालू रखने के लिए एक एफआरटी (Fault Rectification Team) का भी गठन किया हुआ हैं जो प्राप्त बन्द सर्किटों की शिकायतों को तीव्र गति से निस्तारित करती हैं। साथ ही विद्युत शाखा द्वारा सिविल लाईन जोन में एक अलग से लाईट कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ हैं। इस प्रकार समुचित व्यवस्था के द्वारा प्रयास किया जाता है कि जयपुर शहर की 99.9% लाईटें चालू रहें।
- प्रकाशित खबर में खो–नागोरिया, ब्रह्मपुरी, गोनेर रोड, जवाहर नगर में अधिक लाईटें बन्द होने की शिकायत की गयी है। जबकि कुल लाईट पोइन्ट की बहुत कम प्रतिशत में लाईटें बन्द हैं।

  पिछले लगभग 2 से 3 माह पूर्व शिकायतों की संख्या 3500 के लगभग होती थी जो कि घटकर वर्तमान में 1670 हैं।
- प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकर नहीं होने पर नियमानुसार सम्बन्धित संवेदक के विरूद्ध शास्ती (पेनेल्टी) लगाई जाती हैं।

इस प्रकार विद्युत शाखा उपरोक्त समुचित व्यवस्था द्वारा प्रयासरत हैं कि प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकरण/निस्तारण किया जा सकें।

अतः प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

11.11.19

(रमेश चन्द शर्मा)
अधीक्षण अभियंता एवं पदेन
उपायुक्त (विद्युत)
नगर निगम जयपुर